न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी धोरीमन्ना (जिला–बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : – श्री धीरेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या : – 162/2023

प्रार्थीगण

1. गणपतराम पुत्र खानाराम
2. मांगीलाल पुत्र खानाराम
3. लाधूराम पुत्र खानाराम
   जाति विश्नोई निवासी कांवों की बेरी पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कानाराम पुत्र नारायणराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 हीराराम पुत्र कानाराम
   1/2 बाबूलाल पुत्र कानाराम
   जाति विश्नोई निवासी कांवों की बेरी पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना
2. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा धोरीमन्ना
3. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी (संशोधित) अधिनियम 2010

तारिख रजू : 26.06.2023

अधिवक्ता :–

01. श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
02. श्री हापूराम अधिवक्ता विप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 13.08.2024

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी गणपतराम पुत्र खानाराम वगैराह जाति विश्नोई निवासी कांवों की बेरी पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन जिला बाड़मेर आपके उपखण्ड क्षेत्र के अधीन खातेदार व काश्तकार हूँ प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व खातेदारी खेत में आने–जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, आने–जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण को जोत तक पहुँचने के लिए नये रास्ते हेतु अनुमति चाहता है। उक्त अनुमति प्रार्थीगण under sub-section (1) of section 251-A of the Rajasthan Tenancy Act, 1955. के तहत प्रदान की जावें। (i) यह हैं कि प्रार्थीगण जोत का विवरण निम्नानुसार है:–(अ) ग्राम कांवो की बेरी पटवार मण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:21:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

तहसील धोरीमना उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना (ब) खसरा नम्बर 18/1 क्षेत्रफल 4.6539 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम में से प्रार्थीगण अपनी संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 18 तक पहुँचने के लिए निम्न खातेदारों व खसरान् की जोत में से नया रास्ता करने हेतु आवेदन किया है।

(i) नाम खातेदार :–

क्र.स. नाम मय वल्दियत उम्र जाति निवासी

1. गणपतराम पुत्र खानाराम
2. मांगीलाल पुत्र खानाराम
3. लाधूराम पुत्र खानाराम
   जाति विश्नोई निवासी कांवो की बेरी पटवार मण्डल
   लूखू तहसील धोरीमन्ना

(ii) ग्राम– कांवों की बेरी पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमना उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना जिला बाड़मेर (iii) विप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/2 की खातेदारी खेत ग्राम कांवो की बेरी के खसरा नम्बर 18/1 क्षेत्रफल 4.6539 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से नया रास्ता (13 फिट) प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ता परशिष्ट "ए" में लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण के ग्राम कांवो की बेरी खसरा नम्बर 18 से आगे विप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/2 के खसरा नम्बर 18/1 के आगे पक्की डामर सड़क है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीक उपयुक्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही उपयुक्त व सुविधाजनक है। माननीय न्यायालय द्वारा जो भी रकम प्रतिंकर के रूप में नियमानुसार देय का आदेश देने पर जरिये चैक जमा करने के लिए प्रार्थीगण तैयार हैं। विवादित आराजी मौजा कांवो की बेरी पटवार क्षेत्र लूधू तहसील धोरीमना में स्थित होने से यह आवेदन माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी (संशोधित) अधिनियम 2010 के तहत होने से निर्धारित न्यायशुल्क के रूप में 2/– रूपये के मुद्रांक साथ पेश है। अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी के खेत ग्राम कांवो की बेरी खसरा नम्बर 18 क्षेत्रफल 3.1565 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम तक आने–जाने के लिए नया रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/2 की खातेदारी खेत ग्राम कांवो की बेरी के खसरा नम्बर 18/1 क्षेत्रफल 4.6539 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से नया गैर मुमकिन रास्ता (13 फिट) स्वीकृत करने का कष्ट करावें। जो नक्शा ट्रैस में परिशिष्ट "ए" के अनुसार दर्शाया गया है। जिसको नक्शा ट्रैस में लाल रंग से दर्शाया गया है की नए रास्ते की स्वीकृति की इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक ए.डी. से नोटिस भिजवाए गए, दिनांक 13 [illegible] प्रार्थी सं. 1/1 से 1/2 स्वयं उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को रास्ता [illegible] जवाब एवं राजीनामा का पेश किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित रास्ते राजीखुशी देने को सहमत है। विप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:21:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा डीएलसी दर जो न्यायालय में जमा करवानी होती है वे न्यायालय के बाहर ही प्रार्थीगण से प्राप्त कर ली गई है।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की विस्तारपूर्वक सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात् नजरी नक्शा, जमाबंदी एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार धोरीमन्ना का गहनता से अध्ययन किया गया।

राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है:—

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251(क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार है:—

251(क) "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना —

(1) जहां

(क)— कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)— कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है—

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि—

(A)— यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)— अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है—

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो इस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, [illegible] अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर [illegible] यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाए तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:21:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा

(1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वाचित—— की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जाएगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाए, कोई भी अन्य अधिकार अर्जिज नहीं करेंगे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 251(क) में यह आज्ञापक विधिक आवश्यकता है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि उसकी आत्यंतिक आवश्यकता हो, साथ ही कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो।

भू–अभिलेख निरीक्षक दूधू की दिनांक 05.07.2024 जांच रिपोर्ट, मौका फर्द एवं प्रस्तावित रास्ते के नजरी नक्शे एवं जमाबंदी के अनुसार पटवार मण्डल लूखू ग्राम कांवो की बेरी खसरा संख्या 18 प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है तथा विप्रार्थीगण की खातेदारी खेत ग्राम कांवो की बेरी के खसरा संख्या 18/1 क्षैत्रफल 4.6539 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की आराजी है।

प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए एकमात्र न्यूनतम एवं निकटतम रास्ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक दूधू के जांच प्रतिवेदन के अनुसार पटवार मण्डल लूखू ग्राम कांवो की बेरी के खसरा संख्या 18/1 क्षैत्रफल 4.6539 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से 4 मीटर गुणा 64 मीटर कुल क्षैत्रफल 0.0256 हेक्टेयर रास्ता नक्शा ट्रेस में दर्शाए गए हरे रंग के अनुसार प्रस्तावित है।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:21:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हम डीएलसी के विचारण करते हैं कि विप्रार्थीगण व प्रार्थीगण ने आपसी राजीनामा दिनांक 13.08.2024 के अनुसार डीएलसी अनुसार भुगतान नहीं लेना चाहते हैं तो प्रस्तावित भूमि का भुगतान प्राप्त कर लिया है इसलिए भुगतान नहीं किया जायेगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि पटवार मण्डल लूखू ग्राम कांवो की बेरी के खसरा संख्या 18/1 क्षैत्रफल 4.6539 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से 4 मीटर गुणा 64 मीटर कुल क्षैत्रफल 0.0256 हेक्टेयर रास्ता नक्शा ट्रेस में दर्शाए गए हरे रंग के अनुसार खातेदारान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की अभिधृति निर्वापित करते हुए, खातेदारी भूमि में से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता सिवायचक स्वीकृत करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

–: : आदेश : :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है।

01. तहसीलदार धोरीमन्ना एवं भू.अ.नि. दूधू के प्रस्तावित पटवार मण्डल लूखू ग्राम कांवो की बेरी खसरा संख्या 18/1 क्षैत्रफल 4.6539 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से 4 मीटर गुणा 64 मीटर कुल क्षैत्रफल 0.0256 हेक्टेयर रास्ता नक्शा ट्रेस में दर्शाए गए हरे रंग के अनुसार प्रस्तावित प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवायचक स्वीकृत किया जाता है।

02. आपसी राजीनामा होने, डीएलसी का भुगतान पहले प्राप्त करने से प्रार्थीगण तहसील कार्यालय में किसी प्रकार का भुगतान जमा नहीं करायेगें।

03. तहसीलदार धोरीमना के कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0 /2024/2041 दिनांक 18.07.2024 तथा मौका फर्द दिनांक 05.07.2024 के अनुसार पटवार मण्डल लूखू ग्राम कांवो की बेरी के खसरा संख्या 18/1 क्षैत्रफल 4.6539 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से 4 मीटर गुणा 64 मीटर कुल क्षैत्रफल 0.0256 हैक्टेयर रास्ता नक्शा ट्रेस में दर्शाए गए हरे रंग के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी रकबे में से कम कर राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करें। मौका रिपोर्ट निर्णय की अभिन्न अंग व अंश रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:21:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

04. तहसीलदार धोरीमन्ना भू–अभिलेख में अमल–दरामद कर मौके पर रास्ते का सीमांकन/पत्थरगढ़ी कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाने पर उन्हें हटाएं।

05. तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

06. पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(धीरेन्द्र सिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:21:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner